राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.3(388)राज–7/2021/71 जयपुर, दिनांक– 21.08.2026

परिपत्र

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.9(13)राज–6/2021/77 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102क के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियां श्मशान, कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन (Placed at its disposal) किये जाने के प्रयोजन हेतु राज्य के समस्त जिलो के जिला कलक्टरों को अपने–अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किये जाने हेतु प्रत्योजित की गयी है।

वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8260/2021 कंचन पाटिल (मिरासी) समाज बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 एवं 23.04.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के पश्चात की रस्मों को एक व्यापक राज्य/केन्द्रीय नीति के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि अंतिम संस्कार का गरिमापूर्ण ढंग से सम्पन्न होना सुनिश्चित हो सके। कुछ क्षेत्रो में श्मशानघाट जाति और उपजाति के आधार पर सीमाकिंत किए जाते है जबकि अन्य क्षेत्रो में छोटे समूह के लिये अलग–अलग रखा जाता है। अतः उक्त आदेशो की पालना में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रयोजन हेतु (श्मशान, कब्रिस्तान) भूमि आरक्षित एवं आवंटन करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि जाति, उपजाति, सम्प्रदाय या इसी प्रकार के अन्य किसी भी आधारों पर सभी जातियों, वर्गो एवं समुह के मध्य वर्गीकरण या विभेदीकरण नहीं किया जावे।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जहां उक्त प्रयोजन (श्मशान, कब्रिस्तान) हेतु पूर्व में ही भूमि आवंटित है वहां जाति, उपजाति एवं वर्ग विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जावे तथा नये आवंटन आदेशों में उक्त शर्त को आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

आज्ञा से,

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
12. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप—6) विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव